न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :— संजीव कुमार, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

राजस्व वाद संख्या :— 370 / 2022

1.गणपतराम पुत्र तारूराम जाति मेघवाल निवासी गोपल्यान तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
2.नरसी पुत्र रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी किकरालियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

— वादीगण —

—बनाम—

1. कमला पत्नी भीयांराम जाति मेघवाल निवासी गोपल्यान तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
2. इन्द्रा
3. जेठाराम
4. नन्दराम
5. बृजलाल
6. मंजू

} पि0 भीयांराम जाति मेघवाल निवासीगण गोपल्यान तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर — प्रतिवादीगण —

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.

दिनांक :— 21/12/2023

उपस्थित :—

1. श्री रामकरण मूण्ड वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण 1 ता 6— एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज राज्य की ओर से।

—:निर्णय:—

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा चक 3 एलकेडी पटवार हल्का गोपल्यान में संयुक्त खातेदारी कृषि भ्ज्ञूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 3 एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 147 / 17 के कि0नं0 5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20,22 / 2,23 / 2,24 / 2,25 / 2 तादादी 3. 5658 हैक्टेयर खाला सहित, मु0नं0 147 / 18 के कि0नं0 2,3,4,5,6,7,8,9,10 मे तादादी 2. 2761 हैक्टेयर तथा मु0नं0 147 / 25 के कि0नं0 20 / 2, 21 / 3 मे तादादी 0.4046 हैक्टेयर कुल तादादी 6.2718 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिसमे वादी संख्या 1 का हिस्सा 127 / 248 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 45 / 124 बहिब दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज एवं मालिक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बीच हुए घरेलू बंटवारे के अनुसार वादी संख्या 1 के हिस्सा की खातेदारी भूमि मु0 नं0 147/17 के कि0 नं0 13 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 14 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड मे से तादादी 0.2403 हैक्टेयर कमांड पासा दक्षिण दिशा का, कि0नं0 16 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 17 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 18 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड , कि0नं0 19 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 20 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 22/2 मे 0.2023 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 23/2 मे 0.2023 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 24/2 मे 0.2023 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 25 मे 0.2023 हैक्टेयर कमांड तादादी 2.8072 हैक्टेयर कमाड, मु0नं0 147/25 के कि0न0 20/2 मे 0.2276 हैक्टेयर कमांड, कि0नं0 21/3 मे 0.1770 हैक्टेयर कमांड तादादी 0.4046 हैक्टेयर कुल तादादी 3.2118 हैक्टेयर कमांड एवं वादी संख्या 2 के हिस्सा की खातेदारी भूमि मु0नं0 147/18 के कि0नं0 2 ता 10 मे 2.2761 हैक्टेयर कमांड है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हिस्सा की खातेदारी भूमि मु0नं0 147/17 के कि0नं0 5 ता 7 तादादी 0.7587 हैक्टेयर कमांड 0.0253 हैक्टेयर खाला कमांड सहित, कि0नं0 14 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड मे से 0.0126 हैक्टेयर कमांड पासा उत्तर दिशा कुल तादादी 0.7839 हैक्टेयर कमांड 0.0253 हैक्टेयर खाला कमांड सहित की भूमि कब्जाकाश्त है। उपरोक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी घरेलू बंटवारा होकर उपरोक्त मुरब्बा किला अनुसार अलग–अलग कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। लेकिन उपरोक्त भूमि आज भी राजस्व रेकार्ड मे संयुक्त खाता मे चली आ रही है। जिसके कारण पक्षकारो को काफी परेशानीया आ रही है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि का कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने बाबत प्रतिवादीगण को कई बार कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आज कल कहकर टाल मटौल करते रहे लेकिन दिनांक 05.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादगत भूमि का खाता विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तब वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध खाता विभाजन का वाद कारण पैदा हुआ। यही दिनांक विनााय दावा विनाय मुखास्मत है। वादगत भूमि संयुक्त खाते मे होने के कारण लगान जमाकराने एवं पानी का मामला ाजमा कराने को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे मनमुटाव रहता है तथा उपरोक्त भूमि पर सरकारी एवं सहकारी संस्थाओ से ऋण लेकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने मे कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है इसलिए वादीगण उपरोक्त भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का खाता विभाजन करवाकर अलग–अलग लगान कायम करवाने का हकदार है जिसके लिए दावा किया है। अतः दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादगत भूमि का अपने–अपने हिस्से/पांति अनुसार खाता एवं लगान विभाजन की प्राथमिक डिकी फरमाई जने हेतु वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 बावजूद तामील उपसिति नहीं आने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। राज्य की आरे से पैरोकारराज उपस्थित आये। तत्पश्चात् अधिवक्ता वादीगण व पैरोकारराज की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस मे वाद पत्र को स्वीकार कर कब्जे काश्त अनुसार अथवा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस खाता एवं लगान विभाजन करने की प्राथमिक डिकी जारी करने का निवेदन किया। पैरोकार राज ने कथन किया कि मामला पक्षकारों के मध्य है जिसमे राज्य का कोई हित निहित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया है तथा पत्रावली का आधोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादगत भूमि के सहखातेदार है। वादीगण ने अपने सहखातेदारी भूमि को कब्जा काश्त अनुसार खाता एवं लगान विभाजन करवाने के लिए दावा पेश किया है। रिकार्डेड खातेदारान के मध्य बंटवारा किये जाने मे कोई कानूनी अड़चन होनी प्रतीत नहीं होती है अर्थात पक्षकरान की सहमति के आधार पर अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त के मुताबिक विभाजन किया जावे अथवा सहमति के अभाव मे विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् किया जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं तहसीदार लूनकरनसर को वादगत भूमि पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि वादगत भूमि मौजा रोही चक 3 एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 147/17 के कि0नं0 5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20,22/2,23/2,24/2,25/2 तादादी 3.5658 हैक्टेयर खाला सहित, मु0नं0 147/18 के कि0नं0 2,3,4,5,6,7,8,9,10 मे तादादी 2.2761 हैक्टेयर तथा मु0नं0 147/25 के कि0नं0 20/2, 21/3 मे तादादी 0.4046 हैक्टेयर कुल तादादी 6.2718 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिसमे वादी संख्या 1 का हिस्सा 127/248 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 45/124 बहिब है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सानुसार कब्जाकाश्त के अनुसार अथवा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् प्रस्ताव मय नजरी नक्श जिसमे पक्षकारान की भूमियों को अलग–अलग रंगों में दर्शित करते हुए तैयार कर पन्द्रह योम मे इस न्यायालय में भिजवावें ताकि पक्षकारों के मध्य अंतिम डिक्री पारित की जा सके। तदानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 21/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

प्राथमिक डिगरी बमुकदमें इब्दताई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर
ब इजलास :– श्री संजीव कुमार उपखण्ड अधिकारी

गणपतराम वगै. बनाम कमला वगैं.

मुकदमा नम्बर : 370/2022

दावा अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामकरण मूण्ड अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं तहसीदार लूनकरनसर को वादगत भूमि पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि वादगत भूमि मौजा रोही चक 3 एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 147/17 के कि0नं0 5,6,7,13,14,15,16, 17,18,19,20,22/2,23/2,24/2,25/2 तादादी 3.5658 हैक्टेयर खाला सहित, मु0नं0 147/18 के कि0नं0 2,3,4,5,6,7,8,9,10 मे तादादी 2.2761 हैक्टेयर तथा मु0नं0 147/25 के कि0नं0 20/2, 21/3 मे तादादी 0.4046 हैक्टेयर कुल तादादी 6.2718 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिसमे वादी संख्या 1 का हिस्सा 127/248 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 45/124 बहिब है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सानुसार कब्जाकाश्त के अनुसार अथवा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् प्रस्ताव मय नजरी नक्श जिसमे पक्षकारान की भूमियों को अलग–अलग रंगों में दर्शित करते हुए तैयार कर पन्द्रह योम मे इस न्यायालय में भिजवावें ताकि पक्षकारों के मध्य अंतिम डिकी पारित की जा सके।

नीज ....–...........................मुबलिक.......................–..........................बाबत खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर......................–...................... फीस सदी सलाना आज की तारीख से वसूल याबो तक .... –.......................... को अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 21/12/2023 को डिकी जारी की गई।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

मुदई	रूपया	नं.पै.	मुदायला	रूपया	नं.पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये लिया गया होनहीं दर्ज किया जावे।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर